सं0सं0:—भवन—03 / स्था0—विविध—01 / 2018 2149 (भ)

E-mail/FAX

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/गया/समस्तीपुर/सीतामढ़ी/नवादा/अररिया/मोतिहारी/छपरा/सासाराम/औरंगाबाद/कटिहार/भागलपुर/गोपालगंज/हाजीपुर/किशनगंज।

पटना दिनांक- 12.3.2020

विषयः- संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता को विरमित करने एवं योगदान करने संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में स्पष्टीकरण पृच्छा।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक-978(भ)अनु0 दिनांक 31.01.2020 एवं पत्रांक-977(भ) अनु0 दिनांक 31.01.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विभागीय का0आ0 संख्या-262-सह-पठित ज्ञापांक-6277(भ) दिनांक 09.07.2019 एवं का0आ0 संख्या-429-सह-पठित ज्ञापांक-11053(भ) दिनांक 19.12.2019 द्वारा क्रमशः 09 (नौ) एवं 11 (ग्यारह) संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं का संविदा अवधि विस्तार/पुनर्नियोजन करते हुये अन्य स्थान पर पदस्थापित किया गया था। उक्त आलोक में सूचना प्राप्त हो रही थी कि अधिकत्तर संबंधित कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा पुनर्नियोजित एवं स्थानांतरित कनीय अभियंताओं (संविदा) को नवपदस्थापन स्थान पर योगदान देने के लिए विरमित नहीं किया जा रहा है, जो विभागीय आदेश की अवहेलना का द्योतक है। प्रासंगिक पत्र के द्वारा उक्त कनीय अभियंताओं के संबंध में विरमित करने एवं योगदान करने संबंधी प्रतिवेदन 03 (तीन) दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा आदिनांक वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो अत्यन्त खेद का विषय है एवं विभागीय आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आदेश के अनुपालन में बरती गई उदासीनता एवं हुये विलम्ब के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित करें कि क्यों नहीं सरकारी आदेश की अवहेलना के लिए आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए?

विश्वासभाजन,

9.3.2020

(मनीष कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।